

**न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)**

**अपील संख्या:- 12/132/2018**

**अपीलार्थी:-**

**प्रत्यर्थी:-**

श्री पी०एन०मैन्दोला,  
निवासी जी 144 श्याम नगर,  
जयपुर।


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति०  
जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- **27-11-2018**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 11.08.18 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.11.2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2413 दिनांक 26.11.18 के माध्यम से जबाब बिन्दुवार नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने अतिविस्तृत होने के कारण उक्त प्रा०पत्र० दिनांक 11.08.18 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 2116 दिनांक 12.09.18 के माध्यम से खारिज कर अस्वीकृत किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2413 दिनांक 26.11.18 के जबाब की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 27.11.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला कलेक्टर, अलवर  
अलवर (राज०)